# l eg iek.khdj.k
# gr
# lok inkrk d fy;
# fd;kRed fn'kk funf'kdk

*संकलन व प्रस्तुति*
*Mk- ,-d- ;kno*

*हिन्दी अनुवाद*
*Mk- t-ih- flg*
*Mk- ,-d- ;kno*


भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)
jk"Vh; tfod [krh dUn
कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद–201002
दूरभाष सं. 0120–2721905, 2753844; टैलीफैक्स 0120–2721896
Email: nbdc@nic.in: Website: www. Dacenet.nic.in/ncof

*i|dk’kd%*

*fun|’kd*
*jk"Vªh; tSfod [ksrh dsUn|*
*204&ch- [k.M] lh-th-vks- Hkou&2]*
*deyk ug: uxj]*
*xkft;kckn&201 002*
दूरभा"k l|- 0120–2721896, 2753844, 2721905, फैक्स सं. 0120–2721896
ई.मेल : nbdc@nic.in. वेबसाईट : www.dacnet.nic.in/ncof

*l|ikndh; Mk- ,-d|- ;kno] fun|’kd*

*lLdj.k% 2009*

*{ks=h; dsUn%*
क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र, बंगलौर
क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र, भुवनेश्वर
क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र, हिसार
क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र, इम्फाल
क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र, जबलपुर
क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र, नागपुर

*Ekqn|.k ,o| i|dk’ku bdkbZ%*
*Jh gfj Hktu*
*Jh l|Hkk"k pUn|*

*eqn|.k %*
*jk"Vªh; tSfod [ksrh dsUn|] 204&ch- [k.M] lh-th-vks- Hkou&2] deyk ug: uxj] xkft;kckn&201 002*

# fo"k; lwph


| | |
|---|---|
| **v/;k; 1 % mRiknd lewg izek.khdj.k dk vUrxZr lsok inkrkvksa gsrq fd;kRed fn'kk&funsZ'k** | |
| सेवा प्रदाता योजना क्या है? | 1 |
| सेवा प्रदाता के कार्य एवं जिम्मेंदारियां | 1 |
| सेवा प्रदाता हेतु आवश्यक योग्यता तथा पात्रता | 2 |
| सेवा प्रदाता द्वारा तैयार किये जाने वाले दस्तावेज | 2 |
| समूह प्रमाणीकरण क्यों? | 3 |
| समूह प्रमाणीकरण अवधारणा | 3 |
| राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादक समूह प्रमाणीकरण के लिए पात्रता | 4 |
| आंतरिक नियंत्रण प्रणाली | 4 |
| आंतरिक गुणवत्ता पद्धति क्या है? | 5 |
| आंतरिक गुणवत्ता पद्धति को कैसे विकसित करें? | 5 |
| आंतरिक मानक | 6 |
| हितों का विरोध | 6 |
| प्रमाणीकरण की सीमा | 6 |
| व्यापार | 6 |
| आंतरिक नियंत्रण विधि के कार्यान्वयन की प्रक्रिया | 6 |
| कार्य संचालन दस्तावेज | 7 |
| जोखिम जांच के गुणदोष विचारक नियन्त्रक सूत्र | 8 |
| आंतरिक निरीक्षण | 8 |
| बाह्‌य निरीक्षण | 8 |
| समूह में जोत आकार निर्धारण कारक | 9 |
| उत्पादन अनुमान | 9 |
| आंतरिक अनुमोदन | 9 |
| नियमों का उल्लंघन तथा प्रतिबंध | 9 |
| आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली कर्मचारियों का प्रशिक्षण | 10 |
| उत्पाद की साख | 10 |
| भण्डारण और देख रेख की प्रक्रिया | 10 |
| प्रसंस्करण | 11 |
| उप्पाद रिकार्ड, फार्म रिकार्ड | 11 |
| पशुधन का रिकार्ड | 12 |
| **v/;k; 2 % ckg; fujh{k.k ;kstuk rFkk fujh{k.k fof/k** | |
| परिस्थिति के अनुरूप कार्य | 13 |
| प्राप्त सूचनाओं का पुनरीक्षण | 13 |
| प्रमाणीकरण संस्थाओं की नीतियों को समझना और उनका पालन करना | 14 |
| यात्रा प्रबन्धन | 14 |
| आंतरिक नियंत्रण प्रणाली दस्तावेजों का पुनरावलोकन | 14 |
| निरीक्षण स्थलों का चुनाव | 15 |
| उत्पाद समूह के सदस्यों का साक्षात्कार | 15 |
| प्रत्यक्ष प्रश्न पूछें | 15 |
| स्थानीय मुद्दों को समझें | 16 |

| | |
|---|---|
| कार्यालय लेखा निरीक्षण | 16 |
| अद्रश्य व अलिखित सूचना प्राप्त करें | 16 |
| आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन | 16 |
| निरीक्षण प्रतिवेदन में विसंगतियों की जांच | 17 |
| शिक्षा संबन्धी कार्यक्रम | 17 |
| उत्पादक समूह निरीक्षण रिपोर्ट संबन्धी दिशा निर्देश | 18 |
| *vu|l|ph 1* : उत्पादक समूह में सदस्य करार पत्र का नमूना | 20 |
| *vu|l|ph 2* : नक्शे का बाह्य रूप | 22 |
| *vu|l|ph 3* : कृषक के खेत का नक्शा | 23 |
| उत्पादन क्षेत्र प्रवेश फार्म | 23 |
| जैविक क्षेत्र व फसल की वस्तुस्थिति | 24 |
| कृषक की कोड संख्या निर्धारित करने की विधि | 25 |
| एक वर्षीय फसलों को फार्मो में दर्ज करने हेतु प्रारूप | 26 |
| आंतरिक फार्म निरीक्षण का प्रारूप | 26 |
| फार्म विवरण | 26 |
| पशुपालन | 27 |
| फार्म और फार्म प्रबन्धन | 27 |
| फसल का प्रबन्धन | 28 |
| कटाई के बाद की प्रक्रियायें तथा प्रसंस्करण | 28 |
| जोखिम प्रबन्धन | 28 |
| निरीक्षक अनुमोदन व सिफारिश | 29 |
| *vu|l|ph 4* : कृषक फार्म डायरी का नमूना | 30 |
| मिट्टी तथा जल जांच का विवरण | 31 |
| मिट्टी की उर्वरा स्तर का विवरण | 32 |
| फार्म की फसलों के क्षेत्र का विवरण | 32 |
| पौध, बीज और कन्द इत्यादि का विवरण | 33 |
| मृदा सुधारक एवं उर्वरक आदान लेखा | 33 |
| बीमारी, कीट–हानिकारक कीड़े एवं खरपतवार प्रबन्धन | 34 |
| संदूषण नियंत्रण लेखा | 35 |
| पशुपालन तथा पशुधन का रिकार्ड | 36 |
| फार्म पर उत्पादित आदानों का लेखा | 37 |
| कटाई के बाद की सम्भाल तथा भण्डारण का रिकार्ड | 38 |
| विपणन तथा प्रेषण का लेखा | 39 |
| फार्म और उत्पादन क्रिया से सम्बन्धित अन्य सूचना | 39 |
| मूल्य अनुमान और उत्पादन का मूल्य | 40 |

# v/;k; 1

## mRiknd leg iek.khdj.k d vrxr lok inkrkvk gr fd;kRed fn'kk&funs'k

### lok inkrk (Service Provider) ;k tuk D;k g?

कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना के अंतर्गत जैविक तकनीकी हस्तांतरण तथा प्रमाणीकरण के लिये सामर्थ्य निर्माण हेतु सेवा प्रदाता नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध कराई है जो कि दिनांक 01–10–2004 से लागू है। कई प्रदेश सरकारों ने अपने किसानों के लिए इस योजना को आदर्श नमूने (Model) के रूप में अपनाया है।

### lok inkrk d dk;Z ,o ftEenkfj;k

सेवा प्रदाता के पांच मुख्य कर्तव्य (Role) हैं:–

1. कृषकों को समूह रूप में जैविक खेती हेतु प्रेरित (Motivate) करना।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (Internal Control System) की स्थापना, प्रणाली का नेतृत्व व संचालन, आंतरिक निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण संस्थाओं के द्वारा बाह्य निरीक्षण व प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराने के लिये तालमेल बनाना।
3. आंतरिक निरीक्षकों तथा किसानों के साथ तालमेल बनाते हुए जैविक फार्म के क्रियाकलापों का प्रलेखन।
4. तकनीकी संदेशवाहक के रूप में काम करना और किसानों को जैविक खेती हेतु प्रयोग में आने वाली प्रक्रियाओं (Package of practice) तथा तकनीकी क्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराना। जैविक फार्म पर आदान उत्पादन व प्रबंधन का प्रशिक्षण देना तथा जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या करना है और क्या नहीं करना है की जानकारी उपलब्ध कराना। इस सारी प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कहीं भी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कार्यकर्ताओं तथा किसानों के क्रियाकलापों के बीच किसी भी प्रकार का कोई अंर्तविरोध न हों।
5. प्राधिकृत (Accredited) प्रमाणींकरण संस्था द्वारा प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराना।

सेवा प्रदाता के इन कर्तव्यों के अतिरिक्त परियोजना में टीम लीडर के रूप में सेवा प्रदाता को निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने की जिम्मेंदारी है:

अ. गॉव का नक्शा तैयार करना।
ब. सम्बन्धित किसानों का पंजीकरण कराना।
स. प्रत्येक फार्म का वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण करना।
द. उत्पाद के पैकेट बनाने (Packaging) तथा संग्रहण (Storage) में सहायता प्रदान करना।
ध. बाजार में बिक्री का प्रबंधन करना तथा
न. समूह को समय–समय पर वॉछित प्रशिक्षण प्रदान करना।

एक सेवा प्रदाता आस–पास के गॉव समूहों के 200 से 1500 किसान समूह को सेवा प्रदान कर सकता है।

## lsok inkrk gr| vko’;d ;kX;rk rFkk ik=rk

प्रत्येक सेवा प्रदाता में निम्न पात्रता आवश्यक हैं:

1. जैविक कृषि के सिद्वांतों की विस्तृत जानकारी।
2. उत्पादक (Grower) समूह प्रमाणीकरण, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (Internal control system - ICS) तथा कृषि अभिलेखन की प्रभावशाली योग्यता।
3. कम से कम एक सदस्य कृषि स्नातक हो तथा जैविक कृषि, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा आंतरिक निरीक्षण प्रक्रिया में पारंगत हो।
4. स्थानीय भाषा में प्रवींण (Proficient) हो।
5. स्थानीय संसाधन प्रबंधन तथा उपलब्ध संसाधनों के उचित प्रबंधन में कुशल हो तथा
6. जैविक उत्पादों के विपणन (Marketing) में विशिष्टता प्राप्त हो तथा सेवा प्रदाता व किसानों के किसी भी क्रिया–कलापों के बीच कोई हित अंर्तविरोध न हो।

## lsok inkrk }kjk rS;kj fd;s tkus okys nLrkost ¼Documents½

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत सभी समूह किसानों के आवश्यक दस्तावेजों का निर्माण तथा प्रमाणीकरण संस्था द्वारा उनकी जॉच हेतु उपलब्धता सुनिश्चित की जानी आवश्यक है। इस प्रक्रिया के कुछ प्रमुख दस्तावेज निम्नानुसार हैं:

1. प्रत्येक उत्पादक का आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के पालन का लिखित आश्वासन करार।
2. किसान के क्रियाकलाप संबंधी पूर्ण प्रश्नावली तथा निषिद्ध उपादानों के प्रयोग की अंतिम तिथि।
3. प्रत्येक खेत की पूर्ण जानकारी जैसे खेती की विधि, खेती की समस्यायें, हानिकारक कीड़ों तथा बीमारियों की घटनायें और उनका नियंत्रण, आदानो का प्रयोग, उत्पाद की मात्रा, फसल कटाई के बाद की प्रक्रिया इत्यादि।
4. क्षेत्र का नक्शा तथा प्रत्येक खेत का नक्शा
5. वार्षिक निरीक्षण की चैक लिस्ट
6. संबन्धित अधिकारियों द्वारा किसान को दी गई सलाह तथा प्रशिक्षण के विषय में टिप्पणीं
7. किसानों की सूची उनके कोड तथा फार्म के नाम सहित जिसमें कुल क्षेत्र, जैविक खेती की फसलें या पौधों की संख्या, जैविक पंजीकरण की तिथि, प्रतिबन्धित (Prohibited) आदानों के प्रयोग की अंतिम तिथि, आंतरिक निरीक्षण की तिथि, आंतरिक निरीक्षक का नाम, आंतरिक निरीक्षण का परिणाम इत्यादि।
8. प्रतिबंधित किसानों की सूची, कारण तथा प्रतिबंधन की अवधि।
9. प्रत्येक फसल के अंतर्गत रूपान्तरण (Converson)

10. पारंपरिक (अजैविक) खेती क्षेत्र
11. आगामीं वर्ष के लिये पूर्व अनुमान (Forecast)
12. प्रयोग की गई आदानों की मात्रा तथा गुणवत्ता (Quality)
13. क्रय किये गये आदानों की जानकारी तथा क्रय संबंधी सभी दस्तावेज
14. भंडार गृह में उत्पाद के प्रवेश तथा बाहर जाने की रसीद
15. प्रसंस्करण प्रक्रिया का विवरण तथा अनुमानित उत्पादन
16. बिक्री प्राप्ति का विवरण
17. बाह्य निरीक्षक की रिपोर्ट
18. बाह्य निरीक्षक की निरीक्षण रिपोर्ट में इंगित सुझावों व कमियों पर कार्यवाही करने की जानकारी।

## leg iek.khdj.k D;k\

हमारे देश में अधिकतर उत्पादक छोटे या मध्यम स्तर के हैं जिनका कृषि क्षेत्र 1–2 हैक्टेयर है। इनमें से कुछ कृषक दूर–दराज क्षेत्र में रहते हैं जिस कारण उन्हें अपने उत्पाद की बिक्री हेतु लम्बी यात्रा करनी होती है। इन कृषकों का आर्थिक स्तर भी बहुत निम्न होता है और वे अपने उत्पाद की बाजार में अच्छी कीमत प्राप्त करने व प्रमाणीकरण कराने में असमर्थ होते हैं। इन सभी कठिनाईयों के निराकरण हेतु समूह प्रमाणीकरण प्रक्रिया को विकसित किया गया जिससे कृषकों की आर्थिक कठिनाई पर काबू पाते हुए उनके उत्पाद का राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रमाणीकरण किया जा सके।

किसानों द्वारा स्वयं अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (ICS) का प्रबंधन करने से न केवल प्रमाणीकरण प्रक्रिया में कम खर्च आता है बल्कि किसानों की संस्था के प्रबंधन ढॉचे और उनकी जिम्मेंदारी में भी सुधार होता है। किसानों द्वारा प्रमाणीकरण प्रबंधन व उसकी लागत में भागीदारी से विभिन्न प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं में, जो कि अंर्तराष्ट्रीय व्यापार के लिये आवश्यक हैं, उनकी कार्यकुशलता लगातार बढ़ती जाती है और वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गुणवत्ता के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे उत्पादन स्रोत व विधि की जानकारी, प्रलेखन, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में दक्षता इत्यादि उन्हें बाजार में अधिक स्पर्धात्मक क्षमता प्रदान करने में भी सहायक होती हैं।

## leg iek.khdj.k vo/kkj.kk

पूरे विश्व में अधिकांश कृषक छोटी जोत वाले हैं और बहुधा दूर–दराज के क्षेत्रों में होते हैं जहॉ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत समय लगता है। छोटी जोत और सीमित कृषि आय के कारण ऐसे किसान खर्चीली प्रमाणीकरण प्रक्रिया नहीं अपना पाते हैं। ऐसे किसानों को प्रमाणीकरण सुलभ बनाने के लिये ही उत्पादक समूह प्रमाणींकरण प्रक्रिया (Grower Group Certification) का विकास हुआ। इस प्रणाली के अंतर्गत यह आवश्यक है कि समूह के सदस्य एक–दूसरे के समीप रहते हों, उनकी खेती विधा में समानता हो तथा सभी सदस्य एक प्रबंधन के अंतर्गत संगठित हों और विपणन का कार्य साथ–साथ करते हों। उत्पादक समूह

प्रमाणीकरण की परिकल्पना सहकारिता या उत्पादकों के ऐसे समूह के प्रमाणीकरण से है जो समान भौगोलिक व सामाजिक क्षेत्र में स्थित हों तथा जिनकी फसलों की बिक्री इकट्ठी की जा सके। उत्पादक समूह परिकल्पना निम्न कारकों पर आधारित है:

1. उत्पादक समान भौगोलिक क्षेत्र में हों।
2. फसल उत्पादन तथा फार्म की क्रियायें एक समान हों।
3. समूह एक केन्द्रीय प्रशासन द्वारा प्रबंधित हो और उसके सदस्यों की जानकारी व योग्यता समरूपी हो।
4. उत्पादक समूह को अपने आंतरिक नियंत्रण, निरीक्षण और उत्पादन प्रक्रियाओं का लेखा–जोखा लिखित रिकार्ड रूप में स्वयं रखना होता है तथा प्रत्येक सदस्य के कृषि कार्यों को जैविक प्रमाणीकरण मानकों के अनुकूल प्रबंधित करना चाहिये।
5. उत्पादक समूह के प्रत्येक सदस्य को जानकारी का लगातार प्रवाह इस प्रकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक सदस्य जैविक मानकों व आवश्यकताओं को समझ कर उनका अनुपालन कर सके।
6. उत्पादक समूह में प्रसंस्करण (Processing), वितरण तथा विपणन सुविधायें एक ही स्थान पर केन्द्रित होनी चाहिये।

## *jk"Vh; tfod mRiknu dk;dze d vrxr mRiknd leg iek.khdj.k d fy; ik=rk*

छोटी जोत वाले किसान, किसान संस्थाऐं या किसानों द्वारा प्रायोजित संस्थायें समूह प्रमाणीकरण के लिये पात्र हैं। प्रमुख उत्पादक समूह निम्न प्रकार है :

1- *fdlku leg* % किसान संघ (Association) या सहकारी सभा जिसके पास जैविक कृषि का प्रमाण पत्र हो और आंतरिक नियंत्रण पद्धति की व्यवस्था हो।

2. *Bdk mRiknu* ¼**Contract Production**½ % व्यापारी या प्रसंस्करणकर्ता (Processor) जो छोटे कृषकों द्वारा ठेके पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का प्रमाण पत्र रखता हो और ठेके का नियोजन करता हो।

3- *lok inkrk* ¼**Service Provider**½ % सरकार या दानकर्ता संस्थाओं (Donner) द्वारा प्रायोजित संस्था जिसे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (Internal control system) के प्रबंधन की जिम्मेंदारी दी गई हो।

## *vkrfjd fu;=.k i.kkyh* ¼**Internal control system**½

आइफोम तथा एन.पी.ओ.पी. की परिभाषा के अनुसार आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक दस्तावेजी गुणवत्ता की वह विधि है जिसमें बाह्य निरीक्षण संस्था, निरीक्षण व प्रलेखन कार्य की जिम्मेंदारी किसी एक कृषक या कृषक समूह के सदस्यों को प्रदान करती है। इसका तात्पर्य यह है कि उत्पादकों का यह समूह सभी सदस्य उत्पादकों की पूर्ण प्रणाली को नियंत्रित कर पूरी प्रक्रिया का प्रचालन जैविक मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करता है।

बाह्य प्रमाणीकरण संस्था समूह की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उसकी क्रियात्मक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करती है। इस मूल्यांकन में समूह व आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के दस्तावेजों की जॉच, कार्यकर्ताओं की क्षमताओं का मूल्यांकन तथा कुछ किसानों के खेतों का पुर्ननिरीक्षण कर पूरे कार्यक्रम को जैविक मानकों के आधार पर जॉचा जाता है और उपयुक्त पाये जाने पर प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में दस्तावेज नियंत्रण दस्तावेजों का वह संग्रह है जिसमें आंतरिक नियंत्रण पद्वति के निर्देश तथा प्रपत्र (Forms) होते हैं जो कि आपरेटर या सेवा प्रदाता के प्रयोग हेतु आवश्यक होते हैं। परियोजना में प्रत्येक कार्यकर्ता तथा कृषकों की जिम्मेंदारी का भी इसमें विवरण होता है। इसका उद्देश्य स्पष्ट दस्तावेजीकरण करना है जिससे बाह्य निरीक्षक आसानी से आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को समझ सकें और मूल्यांकन कर सके।

## *vkrfjd x|.koRrk i)fr* ¼**Internal Quality System**½ *D;k g|***?**

समूह प्रमाणीकरण आंतरिक गुण पद्धति की अवधारणा पर निर्भर करता है जिसके निम्न अंग हैं:–

- आंतरिक नियंत्रण पद्धति का कार्यान्वयन
- आंतरिक मानक तथा
- जोखिम का मूल्यांकन

बाह्य प्रमाणीकरण तथा निरीक्षण संस्था, जो प्रत्येक समूह/इकाई का वार्षिक निरीक्षण करे, की पहचान (Indentification) की जानी चाहिये। बाह्य निरीक्षण संस्था (Agency) आंतरिक गुणवत्ता पद्धति (IQS) दस्तावेजों की जॉच कर, कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता और कुछ खेतों का दुबारा निरीक्षण करके तथ्यों की सत्यता का पता करती है।

## *vkrfjd x|.koRrk i)fr* ¼**IQS**½ *dk d|l| fodflr dj|***?**

उत्पादकों के समूह को आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली निर्धारित करने के लिये कम से कम निम्न आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है :

1. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (Inter Control system) प्रकिया की स्थापना
2. उत्पादक समूह की पहचान
3. उत्पादक समूह प्रमाणीकरण के विषय में जागरूकता पैदा करना
4. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को चलाने और उसका रिकार्ड रखने हेतु कार्यकर्ता या सेवा प्रदाता की पहचान।
5. उत्पादन तथा आंतरिक गुणवत्ता पद्धति में आवश्यक प्रशिक्षण
6. आंतरिक गुणवत्ता पद्धति की संक्षिप्त विवरण पुस्तिका (Manual), जिसमें प्रक्रिया और नीतियों का उल्लेख हो, तैयार करना।

7. आंतरिक गुणवत्ता पद्धति दस्तावेज का पुर्ननिरीक्षण (review) तथा उसमें समय–समय पर आवश्यक सुधार करना जिससे उसे समतामूलक बनाया जा सके।

### *vkrfjd ekud* ¼**Internal Standards**½

एन.पी.ओ.पी. के राष्ट्रीय मानकों को स्थानीय भाषा में आंतरिक गुणवत्ता पद्धति प्रबंधक द्वारा तैयार किया जायेगा जिससे उसे उस क्षेत्र की आवश्यकतानुसार कार्यान्वित किया जा सके। यदि किसान अनपढ़ है तो आंतरिक मानकों को उदाहरणों, दृष्टान्त चित्रों आदि के द्वारा दर्शाया जाये जिससे किसान उन्हें अच्छी प्रकार समझ सके। आंतरिक मानकों में निम्न बातें होती हैं:–

- उत्पादन इकाई की परिभाषा
- आंशिक रूपान्तरण (Part converson) कैसे करें।
- रूपान्तरण (converson) की अवधि
- पूरी उत्पादन इकाई (उदाहरण के लिये बीज, खाद्य तत्वों के प्रबंधन, हानिकारक कीटों का प्रबंधन, मिट्टी प्रबंधन, अनुमोदित आदान) की उत्पादन प्रक्रिया का निर्धारण।
- फसल कटाई तथा कटाई के बाद की प्रक्रिया का नियंत्रण तथा प्रचालन

*fgrk dk fojk/k %* आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली कार्यकर्ता कोई ऐसा हित विरोधी कार्य नहीं करेगा जिससे कार्य में बाधा आये। सभी संभव अंतविरोधों का लिखित रूप से ऐलान किया जायेगा। यदि कोई ऐसी समस्या आती है तो आई.क्यू.एस. यह सुनिश्चत करेगा कि समस्या का वैकल्पिक समाधान किया जाये।

*iek.khdj.k dh lhek %* किसी समूह को प्रमाणीकरण तभी दिया जायेगा जब वह समूह निर्धारित नियमों एवं मापदण्डों को पूरा करे।

*0;kikj %* एक समूह एक ही सत्ता (Entity) के अंतर्गत क्रय विक्रय करेगा। उत्पादों के व्यापार के लिये आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली उत्पादकों के लिये उचित प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

### *vkrfjd fu;=.k fof/k d dk;kUo;u dh ifd;k&*

आंतरिक नियंत्रण विधि चलाने के लिये उत्पादक समूह द्वारा काम में लाई जाने वाली प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :

1. *u; lnL;k dk ithdj.k%* एक अकेली सत्ता (Entity) के अंतर्गत समूह के सभी उत्पादकों को विधिवत् एवं कानूनी रूप से अपना पंजीकरण कराना होगा।

2. *leg d lnL;k d fy; nLrkotk dk iko/kku ½* उत्पादक समूह के प्रत्येक सदस्य को स्थानीय भाषा में दस्तावेजों के रूप में निम्नलिखित जानकारियॉ प्रदान की जायेंगीः–

- आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली मैनुअल की प्रति।
- आंतरिक मानकों (Internal Standards) का दस्तावेज
- एन.पी.ओ.पी. दस्तावेज (जब भी किसी मानक में संशोधन हो तो प्रत्येक सदस्य व कार्यकर्ता को इसकी जानकारी दी जानी चाहिये)
- उत्पादन इकाई की परिभाषा
- फार्म प्रवेश प्रपत्र, जिसमें प्रतिबंधित आदानों के प्रयोग की अंतिम तिथि भी हो
- उत्पादन प्रक्रिया के पूर्ण दस्तावेज (जैसे मुख्य कृषि क्रियायें, आदानो का प्रयोग, फसल की काटी गई मात्रा, फसल कटाई के बाद की प्रक्रिया इत्यादि)।
- क्षेत्र विशेष के लिये उपलब्ध कृषि विधि और फसल उत्पादन प्रक्रिया।
- बुवाई से लेकर कटाई तक तथा उत्पादों की बिक्री तक का विस्तृत विवरण तथा कार्यों के संचालन के लिये विभिन्न पत्र
- प्रत्येक उत्पादक का समूह के साथ लिखित करार (विधिवत् आश्वासन हेतु)
- वार्षिक फार्म निरीक्षण की चैक लिस्ट
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना और फील्ड अधिकारियों द्वारा सलाह सेवा (Advisory Service) का प्रावधान

### *dk;l lpkyu nLrkot* ¼**Operating documents**½

गुणवत्ता प्रबंधक (Quality Manager) उत्पादक प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु दस्तावेज तैयार करेगा जिसका पालन समूह के सभी सदस्य करेंगे और वे निम्न प्रकार होंगे :

1. पूरे क्षेत्र का (Overview) नक्शा (गॉव या कम्युनिटी का) जिसमें प्रत्येक सदस्य की उत्पादन इकाई दर्शाई जाये। नक्शे में पैदा की जाने वाली फसलों के चक्र और यदि कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें अजैविक खेतों से संदूषण का जोखिम हो, को भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिये।
2. कृषकों की सूची कोड नम्बर के साथ, कुल क्षेत्रफल, फसलीय क्षेत्र (या पौधों की संख्या)। कृषक के पंजीकरण की तिथि, प्रतिबंधित आदान के प्रयोग की अंतिम तिथि, निरीक्षक का नाम, आंतरिक निरीक्षण का परिणाम (जैविक तथा रूपान्तरण कृषकों की अलग–अलग सूची)
3. प्रतिबंधित कृषकों की सूची तथा प्रतिबंध का कारण और समय अवधि का उल्लेख हो।
4. आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली मैनेजर द्वारा प्रतिवर्ष जोखिम का मूल्यांकन किया जायेगा जो कि पूरे समूह के लिये होगा। जोखिम मूल्यांकन फार्म स्तर पर, प्रसंस्करण (Processing), ढुलाई और व्यापार के समय किया जायेगा। आंतरिक

गुणवत्ता प्रणाली मैनेजर चिन्हित मान्य जोखिम कम करने के लिये आवश्यक कदम उठायेगा।

## जोखिम जॉच के गुणदोष विचारक नियंत्रक सूत्र (Critical control points for risk assessment)

- जैविक व अजैविक क्षेत्र के बीच स्पष्ट अलगाव व उसे सुनिश्चत करने के उपाय (यदि किसानों ने कुछ भाग में अजैविक खेती भी की है।)
- रूपान्तरण अवधि (Converson Period )।
- पूरी उत्पादन इकाई के लिये उत्पादन नियम (उदाहरण के लिये बीज, खाद का प्रयोग, मृदा प्रबंधन, अनुमोदित इनपुट्स, अन्य समींपवर्ती खेतों से संभावित संदूषण रोकने के उपाय, पशुपालन आदि)।
- फसल कटाई तथा कटाई के बाद की प्रक्रिया।
- प्रसंस्करण के स्तर तथा प्रबंधन

## *vkrfjd fujh{k.k*

- आंतरिक निरीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष कम से कम दो निरीक्षण किये जायेंगे और उनका दस्तावेजीकरण (Documentation ) किया जायेगा।
- निरीक्षण समूह के सदस्य या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जायेगा जिसमें पूरा फार्म, आदानों का भण्डारण, काटी गई फसल, कटाई के बाद का प्रबंधन और पशुपालन आदि का निरीक्षण शामिल होगा।
- आंतरिक निरीक्षक यह भी प्रमाणित करेगा कि आंतरिक मानकों (Standards) का पूरी तरह पालन किया गया और पिछले आंतरिक निरीक्षण में बताई गई सभी कमियॉ पूरी कर ली गईं हैं।
- आंतरिक निरीक्षक के दौरे का दस्तावेजीकरण किया जायेगा जिसे निरीक्षक हस्ताक्षरित करेगा और उत्पादक सदस्य या उसका प्रतिनिधि उसे प्रतिहस्ताक्षरित (Countersign ) करेगा।
- यदि निर्देशों के पालन न करने का कोई गंभीर मामला हो तो उसके परिणाम तुरन्त आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली मैनेजर को सूचित किये जायेंगे और आंतरिक प्रतिबंध प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

## *ckã fujh{k.k* ¼**External Inspections**½

प्रमाणीकरण संस्था द्वारा अधिकृत बाह्य निरीक्षक कुछ फार्मों का दुबारा निरीक्षण करेगा जिससे उत्पादक समूह के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के राष्ट्रीय मानकों के पालन की कार्यवाही का मूल्यांकन किया जा सके। प्रयोगशाला परीक्षण के लिये नमूना लेना है या नहीं यह निरीक्षक के जोखिम कारकों के मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा।

### leg esa tkr vkdkj fu/kkj.k dkjd

1. समूह में उत्पादकों की संख्या
2. उत्पादन विधि तथा फसलों की उत्पादन विधि में समानता का स्तर
3. अन्तर्मिश्रण (Intermingling) से संदूषण संभावना
4. स्थानीय जोखिम कारक

### mRiknu vuqeku ¼**Yield Estimates**½

समूह के प्रत्येक कृषक को प्रत्येक फसल के उत्पादन का अनुमान लगाना आवश्यक है। यह क्रिया विशेषतः फसल कटाई के समय की जाती है जिसकी दुबारा जांच (Counter check) फसल खरीद के समय की जायेगी।

### vkrfjd vuqeknu ¼**Internal approval**½

आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली मैनेजर एक स्थापित तथा मान्य प्रक्रिया के आधार पर समूह के कृषकों के अनुमोदन या प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया अपनायेगा। सभी आंतरिक फार्म जॉच सूचियों की आंतरिक अनुमोदन स्टाफ (Internal approval staff) द्वारा जॉच की जायेगी जिसमें जोखिम जॉच नियंत्रण तथा दूसरे मामलों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जायेगा।

- अनुमोदन समिति आंतरिक प्रमाणीकरण स्तर प्रदान करने के लिये आंतरिक निरीक्षक के मूल्यांकन (Assessment) को भी जॉचेगी। यदि आवश्यक हुआ तो एन.पी.ओ.पी. मानकों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक नियम व शर्तें निर्धारित करेगी।
- उच्च सक्षम् अधिकारी या अधिकृत समिति को आंतरिक निरीक्षण एक अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत कर परिणामों को प्रमाणित करना चाहिये।

### fu;eksa dk mYya?ku rFkk izfrca/k ¼**Non-compliance of rules and Sanctions**½

नियमो के उल्लंघन के मामले में आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली उचित वैकल्पिक उपाय करने या मामले को निबटाने के लिये आवश्यक उपाय काम में लायेगी।

- नियमों के उल्लंघन के मामले में प्रतिबंधन की प्रकिया को परिभाषित किया जायेगा।
- प्रतिबंधों का दस्तावेजीकरण किया जायेगा (प्रतिबंधित कृषकों की सूची, फाइलों में असमान्यताओं का दस्तावेजीकरण करना)
- समूह के वे कृषक जो प्रतिबंधित आदानों को अपने फार्मों पर प्रयोग करते पाये जायें उन्हें फिर से पूरी रूपान्तरण अवधि (conversion period) से गुजरना पड़ेगा। ऐसे मामलों में जो कृषक अब प्रमाणित न हों, यह चैक करना होगा कि इन कृषकों के उत्पादों को पहले ही अलग किया जाये और प्रमाणित उत्पादों के साथ न मिलाया जाये। ऐसे मामले में प्रमाणीकरण संस्था को भी

सूचित करना होगा और मिश्रित उत्पाद को अगले निर्देश तक अलग रखना होगा।

### *vkrfjd x.koRrk i.kkyh deZpkfj;ksa dk izf'k{k.k* ¼**Training of IQS personnels**½

1. प्रत्येक आंतरिक निरीक्षक को सक्षम् विशेषज्ञों द्वारा प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किया जायेगा।
2. प्रशिक्षण की तिथि, विवरण इत्यादि का दस्तावेजीकरण (Documentation) किया जायेगा।
3. प्रशिक्षण में भाग लेने की तिथि और प्रशिक्षण के घटक/विषय सूची इत्यादि का स्टाफ फाइलों में दस्तावेजीकरण किया जायेगा।

### *mRikn dh lk[k* ¼**Integerity of Product**½

बिक्री के समय समूह से प्राप्त उत्पाद की सच्चाई की मान्यता के लिये निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिये।

1. समूह में कृषक की वस्तु स्थिति (Status) की जॉच की जानी चाहिये।
2. काटी गयी फसल की मात्रा और अनुमान लगाई मात्रा से तुलना की जानी चाहिए। यदि शक हो तो उत्पाद को तब तक अलग रखा जाना चाहिए जब तक आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली संयोजक द्वारा स्पष्टीकरण न दिया जाये।
3. जो उत्पाद की मात्रा दी जाये उसका क्रय रिकार्ड में पंजीकरण किया जाये।
4. क्रय अधिकारी द्वारा कृषक से खरीदी गई मात्रा और तिथि वालों हस्ताक्षरों की रसीद दी जायेगी।
5. सभी दस्तावेजों में यह स्पष्ट होना चाहिये कि प्रमाणित उत्पाद (जैविक तथा रूपान्तर वाला) का क्या स्तर है।
6. थैलों पर लैबल (कागज की चिप्पी) लगी होनी चाहिये कि उत्पाद जैविक है या रूपान्तरण अवधि वाला है।

### *Hk.Mkj.k vkj n[k&j[k dh izfdz;k* ¼**Procedure of storage and handling** ½

भण्डारण अधिकारी उत्पाद के प्रबंधन के दौरान यह चैक करेगा कि सभी दस्तावेजों का स्तर राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हो। भंडारण तथा प्रबंधन के समय निम्न आवश्यकताओं का पूरा किया जाना आवश्यक है।

- विपणन व भंडारण की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पाद की पहचान (Indentification) बनाये रखी जाये।
- जैविक उत्पादों को रूपान्तरण अवधि के उत्पादों से अलग रखा जाये।
- संग्रहण व भंडारण पात्रों या थैलों को कीटनाशी धुँआ या आयनीकृत प्रकाश या गामा प्रकाश उपचार आदि प्रक्रियाएं निषिद्ध हैं।
- भंडार गृह को चिन्हित किया जाना चाहिये।

*iilLdj.k* ¼**Processing**½ ½ उत्पाद के प्रबंधन या प्रसंस्करण के दौरान, सभी प्रक्रिया संबंधी दस्तावेजों की जॉच की जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि सारी प्रक्रिया राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। अनुपालन के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं :

- केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई का बाह्य निरीक्षण तथा प्रमाणींकरण (Certification) संस्था द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।
- प्रसंस्करण में उपयोग आने वाले संघटकों व सहायकों का उपयोग एन.पी.ओ. पी. मानकों के सेक्शन–3, संलग्नक 4 और 5 के अनुरूप होना चाहिये।
- उत्पाद के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की अवधि में उन्हें अजैविक उत्पादों से अलग रखा जाना आवश्यक है।
- प्रसंस्करण प्रक्रिया के कदमों का दस्तावेजीकरण (Documentation) किया जाना चाहिये।

*mRikn* ¼**Product**½ *fjdkM] Qkel fjdkM*

1- *buiqV fjdkM* ¼**Input record**½

अ. उत्पत्ति स्थान (Origin) का विवरण

आ. ऐसी चीजों के गुण (Nature) और मात्रायें जो प्रयोग में लाई गईं

2. *vkmV iqV* ¼**Out put**½ *fjdkM*

अ. बेंचे गये कृषि उत्पादों की मात्रायें तथा जिसके पास उत्पाद भेजा गया का विस्तृत विवरण।

आ. प्रतिदिन के आधार पर सीधे उपभोक्ता को बेंची गई मात्राओं का विवरण।

3- *LVkd Lrj dk fjdkM* ¼**Stock Level record**½

अ. कच्चा माल

आ. अंतिम अवस्था ( Finished) का माल

4- *Qly dk fjdkM* ¼**crop record**½

अ. उस जमींन का जिसका रूपान्तरण जैविक खेती के लिये किया जाना है (Land in conversion) का पिछले तीन साल में उपयोग में लाई गई सामग्री का रिकार्ड

आ. फसल चक्र/चक्रों का विवरण

इ. खेत या क्षेत्र की फसल योजना (cropping plan)

ई. सभी खेतों की फसलों का इतिहास जिसमें फसलों की पैदावार भी शामिल हो

उ. जैविक पदार्थों के उत्पादन का प्राप्ति स्थान, प्राप्त मात्रा तथा प्रयोग की गयी मात्रायें/दर जिसे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिये खेतों और क्षेत्र में उपयोग किया गया।

ऊ. खेत व क्षेत्र में प्रयोग की गई खनिज खादों (Mineral fertilizers) का प्राप्ति स्थान तथा प्रयोग की गई दर व मात्रा का विवरण।

ए. बीज और/या नर्सरी (Transplant) का प्राप्ति स्थान, किस्म व उपचार विवरण (यदि किसी रसायन का उपयोग रोपण के समय या बीज उपचार में प्रयोग किया गया हो का विवरण सहित)

*Ik’k/ku dk fjdkM ¼tSfod Ik’kqikyu ds fy;s½*

1. पशुधन तथा उनकी संख्या व आगमन प्रस्थान विवरण
2. बाहर से लाये गये पशुधन का विवरण (निम्न जानकारी सहित)
   - अ. जानवरों की प्रजाति, संख्या व क्रय विक्रय विवरण
   - आ. जैविक स्तर , पहचान और आयु
   - इ. पशु चिकित्सा विज्ञान
   - ई. रूपान्तरण अवधि

*3- cps x;s Ik’kqvksa ds fo"k; esa tkudkjh*

- अ. प्रजाति, कहॉ बेंचे गये संख्या
- आ. जैविक स्तर, पहचान, आयु

*4- Ik’kq fpfdRlk tkudkjh*

- अ. दवा खरीदने की तिथि।
- आ. खरीदी गई दवा का नाम व मात्रा।
- इ. दवा उत्पादों की आपूर्ति।
- ई. उपचारित पशुओं की पहचान।
- उ. उपचारित पशुओं की संख्या।
- ऊ. उपचार के शुरू होने की तिथि
- ए. उपचार के समाप्त होने की तिथि
- ऐ. दवा उत्पादों की कुल प्रयोग की गई मात्रा
- ओ. कायकर्ता का नाम जिसने दवा दी (administered)

*5- Ik’kq [kk| inkFkksZ dk fjdkM ¼***Stocks***½*

1. खाद्य पदार्थों (Feeds) का जैविक स्तर और प्रमुख अवयवों का विवरण
2. शुष्क भार आधार पर कुल खाद्य पदार्थों की अनुपातिक स्थिति
3. खाद्य पदार्थों के विभिन्न भागों के स्रोत तथा उद्‌गम
4. रिकार्ड़ों का उपयोग

*6- ys[kk& tks[kk ¼***Accounts***½*

- अ. बिक्री
- आ. खरीद

# v/;k; 2

## ckg; fujh{k.k ;kstuk rFkk fujh{k.k fof/k

### 1- ifjfLFkfr d vu: i dk;

विभिन्न उत्पादक समूहों, निरीक्षकों तथा प्रमाणीकरण संस्थाओं में बहुत अंतर होते हुए भी निरीक्षण के मसौदों और निरीक्षण प्रक्रिया को समरूपी, धारणात्मक तथा रचनात्मक होना चाहिये ताकि विभिन्न उत्पादक समूह, जो कि विकास के विभिन्न स्तरों पर हैं, पूर्ण प्रक्रिया को समझ कर अपना सकें। स्थानीय उत्पादन समूह का बाह्य निरीक्षक द्वारा निरीक्षण एक कठिन प्रक्रिया है जिसमें निरीक्षक की शारीरिक तथा स्वास्थ्य सुरक्षा भी दॉव पर लगी होती है अतः इस प्रकार के निरीक्षणों से पहले सभी संभावित परिस्थितियों पर विचार कर लेना चाहिये। निरीक्षक और प्रमाणीकरण संस्था को सुरक्षा संबंधी जॉच कर लेनी चाहिये और यदि संभव हो तो पिछले निरीक्षक के साथ भी विचार–विमर्श कर लेना चाहिये कि निरीक्षण कितना बड़ा हो और किस प्रकार हो जिससे निरीक्षण की जिम्मेंदारी संभालने से पहले विभिन्न गुण दोषों को समझा जा सके।

### 2- ikIr lpukvk dk iujh{k.k ¼**Review of Information**½

प्रमाणीकरण संस्था के पास उपलब्ध दस्तावेजों व जानकारी से प्राप्त वस्तु स्थिति का पूर्वावलोकन उत्पादक समूह के निरीक्षण के लिये पहला कदम है बहुधा उत्पादक समूह बहुत उलझाव पूर्ण होते हैं तथा उस समूह में हजारों नही ंतो सैकड़ों सदस्य हो सकते हैं। ऐसी अवस्थाओं में निरीक्षण आसान नहीं होता है तथा निरीक्षण को पूर्ण करने हेतु अनेक पूरक सूचनाओं की आवश्यकता हो सकती है। निरीक्षण से पूर्व निरीक्षक को निम्न सूचनायें और दस्तावेज प्राप्त कर लेने चाहिये।

- साधारण नक्शा जिसमें उत्पादन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाया गया हो।
- एक और नक्शा जिसमें उत्पादन समूहों (Communities) के प्रत्येक खेत को दर्शाया गया हो।
- प्रत्येक उत्पादक की सूची, उत्पादक का कोड या संख्या, खेत का क्षेत्रफल, प्रत्येक उत्पादक द्वारा पैदा की गई पैदावार, फसलें, अनुमानित पैदावार और उत्पादन का इतिहास। बहुत से उत्पादक समूह प्रत्येक उत्पादक का अलग–अलग रिकार्ड रखते हैं जिनमें प्रमुख हैं – पार्सल मैप्स, उत्पादक के साथ के अनुबंध इत्यादि। ऐसे दस्तावेजों का भी साधारणतया निरीक्षण के समय पूर्वावलोकन किया जाता है।
- प्रमाणीकरण की प्रश्नावली।

- सम्पर्क व्यक्ति का नाम और फोन संख्या (कार्य स्थल और घर दोनो)। यहॉ यह आवश्यक है कि यदि मुख्य आदमी (Key person) तक न पहुंच पाये तो दूसरा वैकल्पिक सम्पर्क उपलब्ध हो।

- परियोजना को समझने के लिये उसका स्वरूप व कार्यप्रणाली का विवरण। साधारणतया पिछली निरीक्षण रिपोर्ट इस आवश्यकता को पूरी करती है। यदि आवश्यक हो तो प्रसंस्करक (Processor) की प्रश्नावली/प्रार्थना पत्र (कई उत्पादक समूह प्रसंस्करण और/या भण्डारण सुविधाओं से युक्त होते हैं तथा उनकी इन सभी सुविधाओं के निरीक्षण की भी आवश्यकता होती है)

- प्रमाणीकरण के नवीनीकरण के मामले में निरीक्षक को पिछला प्रमाणीकरण पत्र दिया जाना चाहिये और साथ में स्पष्ट रूप से दर्शाई गई प्रमाणीकरण की शर्तें दर्शाई जानी चाहिये। प्रायः पिछली निरीक्षण रिपोर्ट बहुत मूल्यवान होती हैं और उन्हें मांग लेना चाहिये।

*3- iæk.khdj.k lLFkkvk dh uhfr;k dk le>uk vkj mudk ikyu djuk*

निरीक्षक के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रमाणीकरण संस्था की नीतियों को तथा उत्पादक समूह की निरीक्षण आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से समझें। इनमें एक प्रमाणीकरण संस्था दूसरे से काफी भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण के रूप में एक प्रमाणीकरण संस्था की प्रक्रिया में सभी उत्पादक समूह के सदस्यों के खेतों का निरीक्षण किया जाता है जबकि दूसरी प्रमाणीकरण संस्था में केवल 20 प्रतिशत सदस्यों के ही निरीक्षण की आवश्यकता हो और तीसरी प्रमाणीकरण संस्था में यह भी हो सकता है कि वह पहले वर्ष में शत–प्रतिशत निरीक्षण करे और उसके बाद के वर्शों में यह प्रतिशत घटती जाये।

*4- ;k=k icU/ku* ¼**Travel arrangements**½

एक बार जब प्रारंभिक तैयारियां हो जायें और निरीक्षक निरीक्षण करने के लिए तैयार हो तो अगला कदम यात्रा के प्रबंधन का होगा जिससे निरीक्षण के लिये पर्याप्त समय निकाला जा सके। निरीक्षण के दौरान अपर्याप्त परिवहन सुविधाएं और कठोर मौसम से यात्रा में बाधा आ सकती है और निरीक्षण की अवधि काफी बढ़ सकती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने की दूरी भी काफी हो सकती है। बहुत सी बदलने वाली बातों को ठीक से समझने के लिये पिछले निरीक्षक और उसकी पार्टी तथा प्रमाणीकरण संस्था से प्राप्त तथ्यों की जानकारी आवश्यक है। विशेष बात यह है कि प्रमाणीकरण संस्था और उत्पादक समूह के बीच यह स्पष्ट होना चाहिये कि निरीक्षण में कुछ अधिक समय भी लग सकता है।

*5- vkrfjd fu;=.k i.kkyh nLrkost dk iujkoykdu*

निरीक्षण की दैनिक कार्यक्रम की योजना तैयार करने के लिये तथा आंतरिक निरीक्षण प्रबंधन के लिये स्थानीय प्रबंधकों से विचार–विमर्श कर योजना तय की जानी चाहिए।

खेतों में जाने से पहले यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि संस्थागत परियोजना प्रबंधन की स्थिति कैसी है। आंतरिक नियंत्रण दस्तावेजों की जॉच एक अहम् आवश्यकता है। इस जॉच में स्थानीय प्रयत्न, शिक्षण कार्यक्रम, उत्पाद बहाव और उत्पादन की व्यावहारिकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। विशेष बात यह है कि प्रमाणीकरण संस्था और उत्पादक समूह के बीच यह स्पष्ट होना चाहिये कि आंतरिक निरीक्षण समय में अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है।

### 6- fujh{k.k LFkyk dk pquko

प्रथम यह पक्का कर लें कि निरीक्षक परियोजना के किसी भी भाग का निरीक्षण करने के लिये स्वतंत्र हैं। उत्पादक समूह के प्रबंधक को निरीक्षण के लिये निर्दे ा देने की अनुमति न दें। यह भी ध्यान रखें कि आई.क्यू.एस. के सदस्य उत्पादक समूह के सदस्य भी हो सकते हैं, अतः सदस्यों के फार्मों का निरीक्षण अव य किया जाये। मूल्यांकन विधि में सबसे अच्छा है कि ऐसे सदस्य जो बहुत दूर–दराज में स्थित है उन्हें पहले देखा जाये।

### 7- mRikn leg d lnL;k dk lk{kkRdkj

एक बार निरीक्षण आरम्भ हो जाये तो यह सबसे अच्छा है कि उत्पादन स्थान से लेकर उत्पादन प्रक्रिया, उत्पाद के बहाव, प्रारम्भिक प्रसंस्करण, अन्तिम प्रसंस्करण, पैकेजिंग (Packaging), भण्डारण और वितरण तक की पूरी प्रक्रिया को जांचा जाये। उत्पादक के निरीक्षण के समय निरीक्षक को उत्पादन क्रियाओं और जैविक नियंत्रण के जॉच बिन्दुओं की उन सभी बातों की जॉच करनी चाहिये जो कि समस्त प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और जिनकी जॉच बहुत आवश्यक है। उत्पादकों के सीधे साक्षात्कार के समय न केवल उनके फार्मों के विषय में ही प्रश्न पूँछे जायें अपितु परियोजना के दूसरे कार्यक्रमों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की जाये। उत्पादक जैविक खेती और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को कितनी अच्छी तरह समझता है इसका मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए।

### 8- iR;{k i'u iN

यह भी अतिआवश्यक है कि आप अचानक सीधे प्रमुख जोखिम प्रश्न पूँछें जैसे खेती में रसायनों का पिछली बार कब प्रयोग किया गया आप विशेष रूप से यह भी जानने की कोशिश करें कि यूरिया, डी.ए.पी. या दूसरे ब्रांड जो कि उस क्षेत्र में प्रयोग होते हैं का प्रयोग किया गया है या नहीं। बहुधा दूर–दराज के क्षेत्रों में उत्पादकों को यह स्पष्ट रूप से मालूम नहीं होता कि प्रयोग किये गये पदार्थ प्रतिबन्धित है या नही। किसी पदार्थ का प्रयोग अन्दाज से न करें। किसी फार्म की सच्चाई बहुधा इससे दर्शित होती है कि उत्पादक को जैविक खेती के विषय में कैसी समझ है जो कि प्रत्यक्ष रूप से परियोजना सम्बन्धी शिक्षा और उसके गुण दोश पर निर्भर करती है।

### 9- LFkkuh; e|nnk dk le>|

स्थानीय सभ्यता, परम्पराओं और प्रयोग होने वाली वस्तुओं (Inputs) के गुण दोशों को समझना आवश्यक है। यह लाभदायक होगा यदि स्थानीय निरीक्षक को निरीक्षण के समय साथ में रखा जाये। स्थानीय निरीक्षक उत्पादकों में विश्वास बनाने में सहायक हो सकता है और स्थानीय मुद्‌दों को समझने में सहायक रहता है। सहयोग के ऐसे प्रबन्ध देशी निरीक्षकों को शक्तिशाली बनने में सहायक होंगे।

### 10- dk;ky; y[kk fujh{k.k

एक बार परियोजना के सभी पहलुओं का निरीक्षण किये जाने पर परियोजना कार्यालय का अंतिम निरीक्षण किया जाना आवश्यक है जिससे पूरे कार्य की प्रभावशीलता का लेखा जोखा (audit) किया जा सके। निरीक्षण के अंत में पूरी परियोजना का लेखा जोखा निरीक्षण सबसे अच्छा माना जाता है। इस स्थिति में निरीक्षक एक आदर्श स्थिति में होगा कि सूचनाओं के विभिन्न टुकड़ों को जो कि खेत निरीक्षण के दौरान इकट्‌ठे किये गये को प्रमाणित कर सकें और दस्तावेजों व वास्तविक प्रयोग की अवस्थाओं की सत्यता जॉच सकें।

### 11- vn'; o vfyf[kr lpuk ikIr dj

साधारणतयः परियोजना प्रबंधन के साथ अंतिम भेंट भी आवश्यक है जिससे बचे हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किये जा सकें। इससे निरीक्षक को अंतिम मौका मिलेगा जिससे खोई या अपर्याप्त सूचना प्राप्त की जा सके और वांछनीय हस्ताक्षर प्राप्त हो सकें।

## vkrfjd fu;=.k i.kkyh dk eY;kdu
## ¼Evaluation of internal control system½

### vkrfjd fu;=.k i.kkyh rd igp

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जॉच में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें–

- क्या आपरेटरों को ऐसी भाषा या प्रारूप में मानकों(Standards) की प्रति दी गई जिसे वे समझ सकते हों?
- क्या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सभी उत्पादक सदस्यों की व्यक्तिगत निरीक्षण रिपोर्टें हैं जिससे उत्पादकों द्वारा प्रक्रिया अनुपालन की जॉच हो सकें।
- भाासकीय प्रतिनिधि बहुधा प्रत्येक कार्य (Operation) को आंतरिक नियंत्रण विधि में कैसे देखते हैं?
- इन दौरों को जॉचने के लिये किस प्रकार के दस्तावेज तैयार किये जाते हैं?

- क्या उत्पादक समूह में नये आपरेटर के जुड़ने से पहले उनका निरीक्षण किया जाता है?

- क्या उत्पादक समूह के सभी सदस्यों ने उस ठेके (contract) पर हस्ताक्षर किये जिसमें जैविक मापदण्डों के पालन तथा वार्षिक निरीक्षण के लिये सहमति जताई गई है?
- जब अनुपालन न करने का शक हो या पाया गया तब क्या होता है (क्या कार्यवाही की जाती है)?

- अनुपालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही के कोई रिकार्ड हैं?

- नियंत्रण विधि में भाासकीय प्रतिबंध नीति है, यदि है तो उसकी प्रति भी रिपोर्ट के साथ संलग्न करें।

### *fujh{k.k ifronu e fo lxfr ;k dh tkp*
### ¼**Cheching of report inconsistencies**½

यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी उत्पादकों के बीच प्रणाली में समरूपता हो। जैसा कि पहले बताया गया है कि उत्पादन समूहों के निरीक्षण में प्रमाणीकरण संस्थाओं की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। कुछ की आवश्यकता होती है कि प्रत्येक उत्पादक की पूर्ण सूचना प्राप्त हो तथा किसी की आवश्यकता हो सकती है कि कुछ किसानों की खेत भ्रमण रिपोर्ट किसानों द्वारा हस्ताक्षरित दी जाये। कुछ प्रमाणीकरण संस्थायें चाहती है कि कुल उत्पादकों का कोई निश्चित प्रतिशत का ही निरीक्षण किया जाना चाहिए। यदि निरीक्षक कुल उत्पादकों का 20% ही निरीक्षण करते हैं तब यह हो सकता है कि जॉच में केवल पांचवें हिस्से (1/5) की ही जानकारी प्राप्त हो। किसी भी उत्पादक को निषेधात्मक क्रिया के लिये समूह से निकाल देना समस्या का हल नहीं होता है। ऐसी स्थिति इस बात का सूचक है कि परियोजना प्रणाली पूरी जागरूक नहीं है। आंतरिक प्रणाली दस्तावेज प्रमाणीकरण कार्यक्रम तथा जॉच बिंदुओं से मेल खाने चाहिये। निरीक्षण रिपोर्ट में सभी निष्कर्ष प्रस्तुत किये जाने चाहिए और साथ में असमानतायें तथा अनसुलझे मुद्दों का भी उल्लेख करें।

### *f’k{kk lEcU/kh dk;de* ¼**Educational Programmes**½

उत्पादक समूह में शिक्षण कार्यक्रम का विवरण मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रमुख अंग है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की निरीक्षण रिपोर्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख तथा दूसरे प्रमुख मुद्दों का उल्लेख होना भी आवश्यक है।

उत्पादक समूह निरीक्षण के दौरान प्रमुख समस्याएं एव जैविक नियंत्रण बिन्दु निम्नानुसार हैं:

- उत्पादक समूह सदस्यों के अस्पष्ट रजिस्टर/अभिलेख
- अस्पष्ट या अपर्याप्त नक्शे।
- बिना किसी रूपान्तरण (conversion) अवधि के नये उत्पादकों या नये खेतों को समूह में शामिल करना।
- कृत्रिम रसायनिक खादों का प्रयोग। कई उत्पादक यह सोंचते है कि जब वे कोई खरपतवार नाशक (Herbicide) या कीटनाशक (Pesticide) प्रयोग नहीं करते तो उनकी खेती जैविक खेती है।
- उत्पाद के भंडारण हेतु रसायनों के थैलों, बोरियों या बर्तनों का प्रयोग।
- भण्डारण या ढुलाई के समय संदूषण।
- आस–पास के पारंपरिक खेत जिनमें रसायनों का प्रयोग हुआ हो से अपर्याप्त दूरी या बिल्कुल अलग न रखना।
- ऐसे पड़ोसी या संबंधी जो कि जैविक उत्पादकों की सूची में न हों का समूह से जुड़ाव व उनके उत्पादों का जैविक उत्पादों के साथ मिश्रण।
- जान–बूझकर रसायनों का प्रयोग जैसे ''मैंने बहुत थोड़ा सा प्रयोग किया'' इत्यादि।
- रसायन छिड़कने वाली मशीनों का साझा प्रयोग जो प्रतिबंधित चीजों के लिये उपयोग की गई हो।
- उत्पादक समूह के अन्दर अस्पष्ट आंतरिक खरीद और व्यापार रिकार्ड।

### *mRikn d leg fujh{k.k fjikVZ lc/kh fn'kk&funZ'k*

उत्पादक समूह निरीक्षण रिपोर्ट मूल रूप से एक फार्म हेतु दिशा–निर्देश तय करती है। फिर भी कई भागों को विस्तृत करने, रूपान्तरित करने तथा कुछ जोड़ने या घटाने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिये संस्थागत प्रबन्धन पर एक भाग किसी परियोजना के कई मुद्दों के विवरण में सहायक हो सकता है। इस भाग में उन समुदायों के नामों की सूचियां, प्रत्येक समुदाय में उत्पादकों के नाम, प्रत्येक का क्षेत्र हैक्टेयर में और यदि संभव हो तो अनुमानित उत्पादन तथा कुल उत्पादन का विवरण शामिल किया जाना चाहिये। उत्पादक समूह की निरीक्षण रिपोर्ट में उत्पादक समूह के ऐसे क्षेत्रों का विवरण जिनका निरीक्षण सदा किया जाना

चाहिये और कुछ दूसरे प्रमुख निरीक्षण बिंदुओं की जानकारी तथा रूप–रेखा निम्नानुसार अंकित की जानी चाहिए।

1. पृष्ठभूमि।
2. परियोजना का मुख्यालय और लेखा जॉच टीम की सूचना, संगठन की उपलब्धता, सूचना की सच्चाई उत्पादों की पूर्व निर्धारित मात्रा जिसका प्रमाणीकरण किया जाना है का विवरण।
3. संगठन प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और कार्यान्वयन विधि जिसमें बनाया गया रिकार्ड भी शामिल हो।
4. समुदायों की सूची।
5. उत्पादकों की सूची।
6. फार्म पर तथा फार्म से बाहर प्रयोग की जाने वाली सभी प्रसंस्करण सुविधायें।
7. यातायात सुविधाएं।
8. भण्डारण सुविधायें।
9. खेतों की हालत तथा आंतरिक निरीक्षक की रिपोर्ट
10. जोखिम की जॉच तथा नजदीकी खेत जो कि जैविक नियंत्रण बिन्दुओं के अधीन न हों की जानकारी।
11. खेती में प्रयुक्त आदान
12. यंत्र जो प्रयोग किये गये
13. पैकेजिंग का सामान।
14. उत्पाद इकट्ठा करने वालों का साक्षात्कार विवरण तथा निरीक्षक की टिप्पणीं।
15. शैक्षिक कार्यक्रम – उत्पादकों की जैविक सिद्धांतों के विषय में समझ तथा मानकों की जानकारी।
16. विभक्त उत्पादन स्थितियों में उत्पादकों की जैविक सिद्वांतों के विषय में समझ तथा मानकीय जानकारी।
17. अन्य विचारणीय बिन्दु।
18. सारांश (Summary)
19. संलग्न दस्तावेजों का विवरण व उनका सारांश।

vu|l|ph 1

## mRiknd leg e| lnL; djkj i= dk ueuk

समूह या संगठन का नाम
सदस्य का नाम (Farmers name)
कोड संख्या (Code Number)

1. ——————————— संस्था अधिकारिक रूप से घोषणा करती है कि वह पूरी जैविक परियोजना का तालमेल करेगी।
2. जैविक खेती के लिये किसानो को सभी संभव सहायता, सेवा, सलाह प्रदान करेगी
3. आंतरिक तथा बाह्य निरीक्षण से तालमेंल करेगी।
4. जैविक फसल (निर्यात की जाने वाली फसल का नाम) को खरीदने बेंचने हेतु एक पारदर्शी तथा टिकाऊ प्रक्रिया का निर्माण करेगी और यदि संभव हो तो अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद पर जैविक अधिशुल्क सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी।
5. मैं ...................................... (सदस्य का नाम) घोषणा करता हूँ कि मैं अधोहस्ताक्षरित जैविक परियोजना (संगठन का नाम) जिसका नियंत्रण (प्रमाणित कर्ता का नाम) के पास है का सदस्य बनना स्वीकार करता हूँ।
6. मैं जैविक कृषि सिद्वांतों के अनुपालन करने का वायदा करता हूँ जो आंतरिक जैविक मानकों (Standards) तथा आंतरिक नियंत्रण विधि (आई.सी.एस) द्वारा निर्धारित किये गये हैं।
7. मैं अपने प्रमाणित जैविक खेतों में किसी भी फसल पर कोई कीटनाशक, खरपतवारनाशक या रसायनिक खाद का प्रयोग नहीं करूंगा।
8. मैं कम से कम निम्न जैविक सिद्वांतों के अनुपालन करने के लिये भरसक प्रयत्न करूंगा।
    - बीज, मृदा उत्पादकता (Fertilization) तथा कीट नियंत्रण के विषय में आंतरिक जैविक स्तर नियमों का अनुपालन करना।
    - मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये फसलों के अवशेषों का आच्छेदन (कोई जलाना नहीं), जैविक पदार्थों के प्रयोग, कम्पोस्ट, खाद, हरी खाद और/या दूसरी विधियों का प्रयोग।
    - मिट्टी के कटाव को रोंकना, सदैव मिट्टी को ढ़ककर रखना और जहॉ आवश्यक हो वहॉ कन्टूर बनाना।

- वातावरण को नुकसान से बचाना जैसे अनावश्यक रूप से पेड़ों का काटना, फसल अवशेषों का जलाना, जहरीले पदार्थों या प्लास्टिक का जलाना इत्यादि कार्य न करना।

9. मैं यह आश्वस्त करने का प्रयत्न करूंगा कि प्रमाणीकृत खेतों या फसलों को दूषित न होने दूॅंगा। उदाहरण के लिये पड़ोस के खेतों के बहाव या धारा से जैविक खेतों को बचाना।

10. मैं कोई भी फसल पारम्परिक विधि से (जैविक निर्यात की फसल का नाम) नहीं उगाऊंगा जिससे समानान्तर उत्पादन को रोंका जा सके।

11. मैं अपने जैविक खेतों से (संस्था का नाम) जैविक उत्पादों की बिक्री के लिये स्वयं समझौता करता हूॅं।

12. जैविक प्रबंधन के प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि (संस्था का नाम) द्वारा कराये जायेंगे में उनमें भाग लूॅंगा।

13. यदि मैं जैविक सिद्वांतों के विरूद्ध कोई कार्य करूंगा तो इसकी सूचना आंतरिक निरीक्षक या संस्था के दूसरे जिम्मेंदार सदस्य को दूंगा।

14. मैं समझता हूॅं कि एक उत्पादक द्वारा भी जैविक सिद्वांतों के उल्लंघन से उस उत्पाद या पूरे उत्पाद को बाहर किया जा सकता है। मैं यह समझता हूॅं कि नियमों के उल्लंघन से मैं प्रतिबंधित भी किया जा सकता हूॅं।

15. मैं .............................. (संस्था का नाम ) के अधिकारिक व्यक्तियों और/या ... ................................................ (प्रमाणिक ऋणदाता का नाम) को निरीक्षण की अनुमति दूंगा और अपने खेतों, भण्डारों तथा दस्तावेजों को निरीक्षक को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराउॅंगा।

स्थान...........................
तिथि............................

हस्ताक्षर..........................
कृषक का नाम...............................
वास्ते (संस्था) ...............................
संस्था की मोहर

## नक्शे का बाह्य रूप (Overview)
## मूल नक्शे की प्रति

## कृषक के खेत का नक्शा
## मूल नक्शे की प्रति

नक्शा

## *mRiknu {k= io'k Qkel*
साक्षात्कार के दिन वास्तविक स्थिति का विवरण
(उदाहरण प्रवेश फार्म)

| | |
|---|---|
| कृषक का नाम | |
| गांव का नाम | कृषक का कोड |
| क्रय केन्द्र (Buying Centre) का नाम | कृषक का पता और सम्पर्क की विस्तृत जानकारी |
| *Qkel* (सभी खेतों, पारम्परिक खेतों सहित) | |

| खेत का कोड संख्या (वही जो खेत के नक्शे पर हो) | हैक्टेयर क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) | मुख्य फसल | अन्तर फसलें | निषिद्ध रसायनों के प्रयोग की अंतिम तिथि (वस्तु और महीना/साल) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| कुल | | | | |

## t|fod {k= o Qly dh oLrqfLFkfr

<table>
<tr><td colspan="3">अनेक मालिकों के संयुक्त जैविक खेत जो स्पष्ट रूप से दूसरे खेतों से अलग न हों</td><td colspan="3">ऐसे क्षेत्र जो एक–दूसरे से अलग–अलग हों</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">अन्य विवरण</td></tr>
<tr><td colspan="3">फसलों का विवरण</td><td colspan="3">पशुपालन</td></tr>
<tr><td>खेत</td><td>पेड़ों की अनुमानित संख्या/फसलें और उनका क्षेत्र</td><td>तिथि, महीना, साल जब पेड़/फसल लगायी (खेत का इतिहास देखें)</td><td>अनुमानित पैदावार (कि. ग्रा./प्रति है.)</td><td>पशु संख्या</td><td>पशु धन का विवरण (उन्हें कैसे रखा जाता है, खाद्य, दवाई)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>कुल एकड़</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| मैं, ......................... (किसान का नाम) ऐलान करता हूँ कि यह सूचना सही है और मैं जैविक उत्पादन की शर्तों (Conditions) को समझता हूँ। मैंने जैविक ठेके के करार की प्रति प्राप्त कर ली है।<br>तिथि................................<br>स्थान...............................<br>कृषक के हस्ताक्षर................................ | मैं .......................... (फील्ड आफिसर) यह सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त सूचना सही है।<br><br>आंतरिक निरीक्षक के हस्ताक्षर |

## vkrfjd fujh{kd ds fy;s fVIi.kh ¼Notes for Internal Inspector½

(कृषक के प्रवेश फार्म को काले बाल प्वाइंट पेन से भरें)

## lkekU; lwpuk ¼General Information½

कृषकों के नाम (अधिकतम् तीन कृषकों के) ........................................................

गॉव का नाम ...................................................................................................

कृषक का पता ..............................................................................................

सम्पर्क सूत्र (दूरभाष संख्या) पड़ोसी का दूरभाष संख्या ..................................

कृषक की कोड संख्या .......................................................................................

## d"kd dh dkM l[;k fu/kkfjr djus dh fof/k
## ¼Method for determination of farmers code number½

प्रत्येक कृषक को एक कोड संख्या मिलेगी (उदाहरणार्थ के डी 001 जिसका तार्किक विवरण निम्न प्रकार है)।

1. इस उदाहरण में पहला शब्द ''के'' है जो कि इस बात का सूचक है कि कृषक किस संस्था का सदस्य है।
2. दूसरा शब्द उस गॉव के नाम का संक्षिप्त शब्द है जिससे कृषक सम्बन्धित है।
3. एक विशिश्ट तीन अंकों की संख्या। पहला कृषक जिसका पंजीकरण हुआ 001, दूसरे का 002 आदि।
4. सभी गॉवों का संख्याकरण स्वतंत्र रूप से करना होगा।

### fufn"V Qke ij lpuk

अ) प्रत्येक फार्म को एक संख्या द्वारा दर्शाना चाहिए।
आ) खेत का क्षेत्रफल हैक्टेयर में दर्ज करें
इ) कुल क्षेत्र हैक्टेयर में
ई) खेत पर सभी फसलों की सूची मुख्य फसल और अन्तर्फसल के साथ।
उ) रसायनों के प्रयोग की अंतिम तिथि (expiry date of chemicals)। सदैव यह भी पूछें कि वह दूसरी क्या–क्या फसलें उगा रहा है और पूर्व में कौनसी फसलें ली हैं हो सकता है वह पूर्व में ऊंची जोखिम वाली फसलें उगा रहा हो।

### [kr dh fLFkfr ij fVIif.k;k

निर्दिष्ट प्रारूप में जैविक फसल वाले खेत के विषय में टिप्पणीं लिखने के लिये काफी स्थान होना चाहिए। यदि कृषक ऐसे खेत में जैविक खेती करता है जिसमें सीमा स्पष्ट नहीं है तथा साथ के सभी कृषक जैविक खेती में परिवर्तन के लिये सहमत नहीं होते तो छोटे खेतों में से किसी भी खेत को इस कार्यक्रम में नहीं लिया जा सकता।

फार्म के सभी जानवरों को दर्ज करें। उदाहरण के लिये गाय (2), शून्य चरान, चारा – केले के छिलके, घान का भूसा, दवाई – होम्योपैथिक इलाज, रसायनिक कीट नियंत्रण।

### gLrk{kj

कृषक फार्म के बांई ओर हस्ताक्षर करता है और यह सत्यापित करता है कि फार्म में दी गई सूचना सही है। कृषक संगठन फार्म के दांई ओर हस्ताक्षर करता है और सत्यापित करता है कि सूचना सही है। दोनो – कृषक और कृषक संगठन फार्म में सूचना कब दर्ज की गई की दिनांक दर्ज करते हैं।

## ,d o"kh; Qlyk dk Qkek e ntl dju gr ik#i

वार्षिक फसलों के मामले में यह अच्छा रहेगा कि सभी खेतों की सूची का रिकार्ड निम्न प्रकार रखें।

| खेत की स्थिति (Location of plot) | प्लाट सं. | 2 साल पहले की फसल | आदान | 1 वर्ष पूर्व की फसल | आदान | इस वर्ष की फसल | आदान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## vkrfjd Qkel fujh{k.k dk ik:i

| कृषक का नाम | उत्पादक कोड |
|---|---|
| आंतरिक निरीक्षक | निरीक्षण की तिथि |
| निरीक्षण के समय उपस्थित | |

## Qkel fooj.k ¼lHkh [kr] vtlfod [krk lfgr½

| खेत वही है जो पिछले वर्ष में था और जिसका पंजीकरण आंतरिक दस्तावेजीकरण के लिये किया गया | हां | नहीं, यदि नया खेत है तो, इस खेत का इतिहास और यह जानकारी कि प्रतिबन्धित आदान कब प्रयोग किया गया था। |
|---|---|---|
| | | |

| खेत (फार्म प्रवेश का प्रारूप देखें) | क्षेत्रफल (है.) | मुख्य फसल | अंतर फसलें | आदानों का प्रयोग बीज, खाद सहित (पिछले वर्ष, उत्पाद, मात्रा, तिथि) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| कुल फार्म | | | | |

## Ik’kikyu ¼**Animal Husbandry**½

पशुधन की स्थिति में परिवर्तन

| कसौटी मानक | अच्छा | स्वीकारणीय | अस्वीकारणीय | औचित्य/हालात |
|---|---|---|---|---|
| पशु अच्छी तरह रखे गये दुर्व्यवहार नहीं किया | | | | |
| मुख्य रूप से जैविक खाद्य दिया | | | | |
| मुख्यतः होम्योपैथिक या प्राकृतिक इलाज किया | | | | |

## Qke vkj Qke icU/ku ¼**Farm and farm management**½

| | | |
|---|---|---|
| पूरे फार्म का प्रबन्धन जैविक होता है (सभी फसलें) | हां | नहीं – पहली दो आवश्यकतायें नीचे दी जा रही हैं जो अवश्य पूरी हों, चैक कर लें। |
| | | |

| d lkVh ekud | vPNk Lohd`r | vLohd`r | vkfpR;@’krl |
|---|---|---|---|
| यदि अजैविक फसल भी ली गई है, तो पारम्परिक फसलों के खेत स्पष्ट रूप से अंकित हैं। आदानों का भण्डारण भी अलग से है। | | | कोई अजैविक फसल नहीं |
| यदि अजैविक भी है तो जैविक निर्यात की फसलें नहीं उगाई जातीं। अजैविक खेतों पर कोई समानान्तर उत्पादन नहीं | | | कोई अजैविक फसल नहीं |
| पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, बाड़, जंगल इत्यादि | | | |
| कृषक जैविक खेती में प्रशिक्षित है | | | |
| कृषक को आंतरिक मानकों की जानकारी है | | | |
| स्थायित्व के विषय में सामान्य मूल्यांकन | | | |
| टिप्पणीं विशेष | | | |

## Qly dk izca/ku ¼Management of crops½

| fdz;k ¼Activity½ | vPNk | Lohd`r | vLohd`r | vkfpR;@'krZ |
|---|---|---|---|---|
| तैयारी तथा रख–रखाव | | | | |
| जैविक उर्वरक प्रबंधन | | | | |
| खरपतवार नियंत्रण | | | | |
| हानिकारक कीट नियंत्रण | | | | |
| बीमारियों का प्रबंधन | | | | |
| मृदा संरक्षण, मिट्टी को ढकना, ढेर, नालियॉ | | | | |
| फार्म पर सफाई अवशेष निस्तारण | | | | |
| क्या सभी वांछित क्रियायें कार्यान्वित की गईं | | | | |
| फसल का सामान्य मूल्यांकन | | | | |
| फसल की कटाई का अनुमान (इस वर्ष) | | | | |
| टिप्पणीं | | | | |

## dVkbZ ds ckn dh izfdz;k;sa rFkk izlaLdj.k
## ¼Post Harvest Measures and Processing½

| fdz;k ¼Activity½ | vPNk | Lohd`r | vLohd`r | vkfpR;@'krZ |
|---|---|---|---|---|
| फसल कटाई के बाद कोई कीट सुरक्षा नहीं | | | | |
| izlaLdj.k<br>कोई सहायक नहीं/ गुणों के आधार पर अलगाव | | | | |
| भण्डारण में कोई संदूशण नही के आधार पर अलगाव | | | | |
| टिप्पणीं | | | | |

## tksf[ke izcU/ku ¼Risk Management½

| lanw"k.k tksf[ke | fuEu | e/; | mPp | fVIi.kh |
|---|---|---|---|---|
| पड़ोसी अजैविक खेतों से | | | | |
| उसी फार्म की अजैविक क्रियाओं से | | | | |
| उद्योग, मोटर्स, गंदा पानी आदि से | | | | |
| दूसरे (विशेष रूप से कहें) | | | | |
| जोखिम को कम करने के लिये उठाये गये कदम | | | | |

## fujh{kd vuqeknu o flQkfj'k ¼iqjs Qke dh ½

| |
|---|
| *fiNyh 0;oLFkk ds lkFk vuqikyu*<br>अच्छा<br>आंशिक रूप से स्वीकृत<br>सूचना अप्राप्त/स्वीकार्य नहीं<br>पिछले साल की स्थिति |
| *bl o"kZ vuqikyu*<br>बिना शर्त अनुमोदित<br>शर्त के साथ अनुमोदित<br>अनुमोदन नहीं किया जा सकता |
| शर्तें (सुधारात्मक बातें या स्पष्टीकरण – गंभीर अनुपालन न करने पर कार्यवाही)<br>कृपया उल्लंघनों में सुधार करें |

## ?kks"k.kk ¼**Declaration**½

| | |
|---|---|
| *d"kd ;gka iqf"V djrk gS fd mlus vkarfjd tSfod 'krksa dk vuqikyu fd;k gS vkSj lHkh vknkuksa rFkk fdz;kvksa dh ?kks"k.kk djrk@djrh gS ftudk fooj.k bl QkeZ esa fd;k x;k gSA d"kd us fu/kkZfjr 'krksa dks ukV dj fy;k gSA* | |
| कृषक के हस्ताक्षर | आंतरिक निरीक्षक के हस्ताक्षर |

## *laxBd }kjk vuqeknu@QSlyk*

| |
|---|
| इस वर्ष अनुपालन<br>☐ शर्तों के बिना अनुमोदित ☐ सशर्त अनुमोदित<br>☐ अनुमोदित नहीं |
| अतिरिक्त शर्तें या स्वीकृतियां |
| अनुमोदन प्रबंधक के हस्ताक्षर |

vu|l|ph 4

## d"kd Qke| Mk;jh dk ueuk

### t|fod df"k d| fy;| vkrfjd fu;|=.k i|.kkyh
mRiknd leg d| iek.khdj.k vkj ,u-ih-vk-ih- rFkk b|-;|- 2092@91 ij vk/kkfjr
¼,u-ih-vk-ih- d| v|rxr fn'kk&fun|'k½

### Internal Quality Control System For organic Agriculture
(As per Guide Lines of N.P.O.P. Section on Grower group certification and N.P.O.P. and E U.-2092/91)

कम संख्या.......................................

चालू फसल साल................................

मौसम रबी/खरीफ/जायद/वार्षिक/अन्य

1. फार्म इकाई का नाम.............................
2. संगठन/समूह का नाम..........................
3. जैविक उत्पाद आरम्भ करने का वर्ष............................
4. आई.सी.एस. कार्यान्वयन की तारीख ....................................
5. कुल जोत का क्षेत्र (एकड़/हैक्टेयर) अपना............................खेतों की संख्या पट्टे पर ली गई..............................खेतों की संख्या
6. चालू उत्पादन विधिः पूर्ण रसायनिक/कुछ हिस्सा जैविक/कुछ भाग समानान्तर जैविक/पूर्ण जैविक/अन्य
7. जैविक के अंतर्गत फसलें तथा क्षेत्रफल................................. या अन्य उत्पादन (नाम और क्षेत्रफल)..........................................
8. प्रमाणींकरण का स्तर/पंजीकृत आई.सी.एस./रूपान्तरण में/प्रमाणित/अन्य
9. प्रमाणीकरण संस्था का नाम...........................................................

## feVVh rFkk ty tkp dk fooj.k
## Soil and Water Test Details

feVVh

| d-l- | ?kVd | tkp fjikV | tkp frfFk | fVIi.kh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | भौतिक | | | |
| 1.1 | फिजियोग्राफी | | | |
| 1.2 | मिट्टी की किस्म | | | |
| 1.3 | मिट्टी का रंग | | | |
| 1.4 | मिट्टी की गहराई | | | |
| 1.5 | जल संरक्षण शक्ति | | | |
| 1.6 | अन्य | | | |
| 2 | रसायनिक | | | |
| 2.1 | पी.एच. | | | |
| 2.2 | ई.सी. | | | |
| 2.3 | मुख्य तत्व – नाईट्रोजन<br>– फास्फोरस<br>– पोटा । | | | |
| 2.4 | सूक्ष्म तत्व – कैल्सियम | | | |
| | मैंग्नीसियम | | | |
| | सल्फर | | | |
| 3 | जैविक | | | |
| | कुल सूक्ष्म जीव संख्या | | | |
| | कुल जैव कार्बन | | | |
| | कार्बनः नत्र अनुपात | | | |

fVIi.kh

ty ¼**Water**½

| क.सं. | घटक | जांच रिपोर्ट | जॉच तिथि | टिप्पणीं |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पी.एच. | | | |
| 2 | ई.सी. | | | |
| 3 | अन्य | | | |

fVIi.kh ¼**Remarks**½

## feVVh dh moZjk Lrj dk fooj.k
## Qkel dk ys vkmV uD'kk

प्रत्येक खेत की स्थिति के साथ, पेड़, उपयोगितायें इत्यादि सहित

उपलब्ध संसाधनों का विवरण

1.............................. 2.......................... 3..........................

4............................. 5........................... 6..........................

7..............................

मौसमवार फसलें, उनके क्षेत्र, बिजाई नक्शा (प्रत्येक मौसम का अलग)

एक नजर में पूरी जमीनी जानकारी के लिये नक्शे के ले आउट में निम्न सूचना उपलब्ध होनी चाहिये। यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित सूचना भी होनी चाहिये। पड़ोस के खेतों का विवरण, फसल, खेती की विधि के साथ, निर्माण का स्थान, कुंए, चौकीदारी का टावर, तालाब आदि, सिंचाई के साधन, सिंचाई की नाली, पानी का बहाव, प्रदूषण के संभावित साधन और उनकी स्थिति। खाली क्षेत्र एवं मध्यवर्ती बफर क्षेत्र भी दर्शाये जायें।

## Qkel dh Qlyk ds {k= dk fooj.k
**¼ Farm Crop Area Details½**

| उत्पादन का मौसम और वर्ष | खेत संख्या, मुख्य खेत, छोटा खेत नाम / संख्या | क्षेत्र | चालू फसल | उत्पादन विधि वर्षा पर निर्भर / सिंचित | टिप्पणीं / स्तर / रूपांतरण में / जैविक / अजैविक या अन्य |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

तीन वर्ष के फसल चक्र का विवरण दें

टिप्पणीं

## ik/k] cht vkj dn bR;kfn dk fooj.k
## ¼Details of Seed and Planting Details½

| क्र. सं. | फसल | किस्म | बीज खरीद, तिथि | बीज देने वाले का नाम, साधन | बीज का प्रकार जैविक/अनुपचारित/उपचारित/अजैविक | बीज उपचार आदान का नाम इसका ब्रांड उपचार विधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

पिछले तीन वर्षों में बीज और फसल में प्रयुक्त उपादानों का विवरण दें।

टिप्पणीं

## enk l/kkjd ,o mojd vknku y[kk

| क्र.सं. | प्लाट संख्या | क्षेत्र | फसल | प्रयोग किये गये आदान | आदान का प्राप्ति साधन और ब्रान्ड (पहचान) | प्रयोग की गई मात्रा तथा खर्च | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | समय | दर | खर्च |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

पिछले तीन वर्षों में प्रयोग में किये गये आदानों का विवरण दें।

टिप्पणीं

## chekjh] dhV&gkfudkjd dhM+ ,oa [kjirokj izca/ku
**¼Disease, Insect pest and weed Management½**

| क्र. सं. | प्लाट संख्या | क्षेत्र | फसल | कीट / बीमारी / खरपतवार का विवरण | नियन्त्रण उपाय अपनाये गये | | | आदानों का ब्रांड व प्राप्ति साधन का विवरण | प्रयोग की दर व खर्च |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | नाम | मात्रा | समय | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

पिछले तीन वर्षों में प्रयोग किये गये आदानों की मात्रा जो कि बीमारी, हानिकारक कीड़ों और खरपतवार नियंत्रण के लिये की गई

टिप्पणीं (Remark)

संn"k.k fu;=.k y[kk

**¼Contamination control record½**

| क्र. सं. | संभावित संदूषण (Contamination) | संदूषण का मूल स्रोत तथा इसका विवरण | संदूषण नियंत्रण का समय | संदूषण प्रबंधन का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उपकरणों/औजारों से | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | पानी से | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 | हवा से | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4 | पड़ोस से | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | बहाव और खाली क्षेत्र से | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 6 | अन्य | | | |
| | | | | |
| | | | | |

पिछले तीन वर्षों में संदूषण का विवरण जो कि अब भी उपस्थित है।

## Ik’kq ikyu rFkk Ik’kq/ku dk fjdkMZ
## ¼Animal Husbandry and Live stock records½

| जानवर की किस्म | मुख्य उत्पाद | सह उत्पाद | भंडारण की विधि | अन्य विवरण | टिप्पणीं |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

टिप्पणीं

| पशुधन | खाद्य पदार्थ (Feed) का विवरण | चारे का विवरण | अन्य | टिप्पणीं |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

टिप्पणीं

| पशुधन | बीमारी निरोधक उपाय | उपचार | उपचार का विवरण | टिप्पणीं |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

टिप्पणीं

## Qke ij mRikfnr vknkuks dk ys[kk
**¼On farm input production record½**

| d- l- | vknku dk uke | Ikfd;k rFkk LFkku | dPps eky dk fooj.k | | | vknku dh ek=k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | uke | ek=k | lk/ku | |
| 1 | उर्वरता प्रबंधन के लिये | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | कीट नियंत्रण के लिये | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 | अन्य आवश्यकताओं के लिये | | | | | |

टिप्पणीं

## mRiknu dk vuqeku vkSj dVkbZ dk ys[kk

| क. सं. | प्लाट सं. और क्षेत्र | फसल / उत्पाद का नाम | उत्पादन का विवरण | कटाई का समय | | उत्पादन अनुमान | | वास्तविक उत्पाद | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | अनुमानित | वास्तव | मुख्य उत्पाद | सह उत्पाद | मुख्य उत्पाद | सह उत्पाद |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

टिप्पणीं

## dVkbZ ds ckn dh lEHkky rFkk Hk.Mkj.k dk fjdkMZ
## ¼Post harvest handling and storage record½

फसल गहाई के स्थान और प्रक्रिया का विवरण

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..............................................................................................................

1. अस्थाई भण्डारण का विवरण.........................................................
2. स्थाई भण्डारण का विवरण (निर्माण का प्रकार, आकार, भंडारण की क्षमता)............
   ..............................................................................................................................................
3. अन्य सम्बन्धित सूचना...................................................................................................
   ..............................................................................................................................................
   ................................................................................

| फसल का नाम | काम का स्थान | कटाई की प्रक्रिया | मुख्य उत्पाद | | सम्बन्धित उत्पाद | | पैकिंग और भण्डारण का विवरण | | विशेष टिप्पणीं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | नाम | मात्रा | नाम | मत्रा | सामान प्रयोग | स्थान | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

टिप्पणीं

## foi.ku rFkk i"k.k dk y[kk

1. फार्म और समूह स्तर पर विपणन की योजना.................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................

2. फार्म, इकाई और समूह स्तर पर ठेके तथा पार्टी का विवरण .....................................
..........................................................................................................................................
..............................................................................................................

3. फार्म, इकाई और समूह स्तर पर सीधे विपणन व्यवस्था का विवरण ..........................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...................................................................................................

4. अन्य संबंधित सूचना .........................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................

| उत्पाद का नाम | भण्डारण मात्रा | परिवहन विवरण | | | भंडार में अवशेष मात्रा | अन्य उपयोग | टिप्पणीं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मात्रा | तिथि | परिवहन का साधन | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

टिप्पणीं

## Qkel vkj mRiknu fd;k l lEcfU/kr vU; lpuk
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

———————————————————————————————————

## eY; vu|eku vk|j mRiknu dk eY;

**¼Cost stimation and cost of production½**

| क.सं. | मूल्य घटक नाम और विवरण | फसलों के नाम | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्र | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | जमीन की तैयारी | | | | | | |
| 1.1 | जुताई | | | | | | |
| 1.2 | जमीन का समतल करना | | | | | | |
| 1.3 | हेरो चलाना | | | | | | |
| 2 | मिट्टी उपचार | | | | | | |
| 3 | उर्वरता प्रबंधन | | | | | | |
| 3.1 | आदान–1 | | | | | | |
| 3.2 | आदान–2 | | | | | | |
| 3.3 | आदान–3 | | | | | | |
| 3.4 | आदान–4 | | | | | | |
| 4 | बुवाई | | | | | | |
| 4.1 | बीज | | | | | | |
| 4.2 | बीज उपचार | | | | | | |
| 4.3 | बिजाई | | | | | | |
| 5 | सिंचाई | | | | | | |
| 6 | खरपतवार प्रबंधन | | | | | | |
| 7 | कीट प्रबंधन | | | | | | |
| 7.1 | आदान–1 | | | | | | |
| 7.2 | आदान–2 | | | | | | |
| 8 | कटाई | | | | | | |
| 9 | गहाई | | | | | | |
| 10 | अस्थायी भण्डारण | | | | | | |
| 11 | स्थायी भण्डारण | | | | | | |
| 11.1 | आदान–1 (पैकेजिंग) | | | | | | |
| 11.2 | आदान–2 (पैकेजिंग) | | | | | | |
| | उत्पाद का कुल मूल्य | | | | | | |
| 12 | बोया गया क्षेत्र | | | | | | |
| 13 | कुल उत्पादन | | | | | | |
| 13.1 | मूल्य/एकड़ | | | | | | |
| 13.2 | मूल्य/क्विंटल | | | | | | |
| 14 | बिक्री दर | | | | | | |
| 15 | मुख्य उत्पाद का मूल्य | | | | | | |
| 16 | सह उत्पाद का मूल्य | | | | | | |
| 17 | सह उत्पाद का दर | | | | | | |
| | सह उत्पाद का कुल मूल्य | | | | | | |
| | शुद्व लाभ | | | | | | |